कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, धमतरी

/ / आदेश / /

क्रमांक /3955 /कोविड–19/2021/ धमतरी, दिनांक 04/05/2021

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी के आदेश क्रमांक 3746/कोविड–19/2020 दिनांक 10.04.2021 तथा आदेश क्रमांक 3869/कोविड–19/2021 दिनांक 27.04.2021 के तहत जिले में तालाबंदी (लाकडाउन) के संबंध में आदेश जारी किया गया था। जो दिनांक 05 मई 2021 रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। **दिनांक 06 मई 2021 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 15 मई 2021 रात्रि 12.00 बजे तक तालाबंदी** के संबंध में इस आदेश के तहत जारी आदेश सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

जिले में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक है। जनस्वास्थ्य तथा लोकहित को देखते हुए मुझे यह समाधान हो गया है कि जिले में दिनांक 05/05/2021 से 15/05/2021 तक प्रतिबंधों एवं छूट सहित तालाबंदी (लाकडाउन) लागू किया जावे। भारतीय दण्ड संहिता 1860, एपीडेमिक एक्ट 1897 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी से बचने हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है। जो सम्पूर्ण जिले में उपरोक्त तिथि तक प्रभावशील रहेगा।

जिले के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रतिबंध एवं संचालन के संबंध में निम्न आदेश पारित किए जाते हैं:–

नाईट कर्फ्यू एवं रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी

तालाबंदी अवधि में रात्रि में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगी जो सायं 5.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावशील रहेगी उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं घूम सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड संहित 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। तालाबंदी की अवधि में **दिनांक 09/05/2021 दिन रविवार** को सम्पूर्ण तालाबंदी लागू की जाती है। अस्पताल प्रबंधन के अलावा समस्त सेवायें पूर्णतया स्थगित रहेंगी।

शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय :–

जिले के समस्त शासकीय अर्द्ध शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों मे 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जायेगी। शेष कर्मचारी घर मे बैठकर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिये गये कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पडने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्यों के संपादन हेतु बुला सकते हैं। शासकीय कार्यालयो मे कार्यरत कर्मचारी को प्रदत्त शासकीय पहचान पत्र पास के रूप में मान्य किये जायेंगे। यदि शासकीय पहचान पत्र नहीं है तो कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में अपने निवास स्थान से कार्यालय आने तक पास जारी करेगा।

आवश्यक सेवायें :–

निम्नलिखित सेवाओं/गतिविधियों को **छोड़कर** समस्त गतिविधियां जिले के भीतर प्रतिबंधित रहेंगी।

- समस्त आवश्यक सेवायें यथा–अस्पताल प्रबंधन, जलआपूर्ति, विद्युत आपूर्ति स्वच्छता सेवायें, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवायें।
- आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फैक्टरी तथा कारखाने। ऐसे कारखानों में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन ।
- निम्न समयावधि एवं शर्तों सहित निम्न सेवाओं के संचालन की छूट रहेगी:–

(अ) किराना स्टोर्स, मिल्क पार्लर, लॉक डाउन अवधि में प्रातः 8.00 से सायं 05.00 बजे तक ही खुली रहेंगी। ऐसे जनरल स्टोर्स जो जनरल सामाग्री के साथ–साथ खादय सामग्री यथा चावल, दाल, तेल इत्यादि बेचते हैं उपरोक्त अवधि में खुले रह सकते हैं। परंतु मेगामार्ट, सुपर मार्कट, मॉल में स्थित जनरल स्टोर्स संबंधी समस्त दुकानें उपरोक्त अवधि में पूर्णतया बंद रहेंगी।

(ब) पशुचारा एवं पशुआहार से संबंधित दुकानें, कृषि से संबंध दुकानें यथा–कीटनाशक, फर्टिलाईजर खाद तथा कृषि उपकरणों के मरम्मत से संबंधित दुकानें उक्त दुकानें प्रातः 8.00 से सायं 05.00 बजे के मध्य खुली रहेंगी। कृषि उपकरण संबंधी दुकानें उपकरणों के मरम्मत हेतु प्रातः 8.00 बजे 12.00 बजे तक खुली रह सकती हैं।

(स) किराना दुकान के अलावा जनरल स्टोर्स की दुकानें प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक वस्तुओं की होम डिलीवरी कर सकते हैं परंतु जनरल स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी होम डिलीवरी करने हेतु दुकानों का एक चौथाई शटर खोलकर सामाग्री की होम डिलीवरी करने के पश्चात् दुकानों को दुकान संचालक बंद कर देंगे।

(द) पोल्ट्री, अंडा, मीट, मछली, डेयरी एवं डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकाने प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी।

(य) समस्त बैंकिंग सेवायें प्रातः 11.00 बजे से 5.00 बजे तक खुली रहेंगी, इस अवधि में केवल बैंकों द्वारा सभी प्रकार के अनिवार्य व्यावसायिक कामकाज जारी रहेंगे। 1.00 लाख रूपये (एक लाख रूपये) से कम की जमा तथा निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। एक लाख रूपये से कम की निकासी एटीएम के माध्यम से की जा सकेगी। जिन व्यक्तियों को उक्त अवधि में बैंक में आने जाने की छूट रहेगी उक्त संबंध में ग्राहक बैंक मैनेजर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेगा तथा अपने कार्य के संबंध में बैंक मैनेजर से अनुमति प्राप्त करेगा, बैंक मैनेजर द्वारा उक्त संबंध में ग्राहक को बैंक में उपस्थित होने के संबंध में मोबाईल के माध्यम से अनुमति प्रदान करेगा इसके पश्चात् ही कार्य अवधि में ग्राहक बैंक में उपस्थित हो सकेगा। बैंक मैनेजर द्वारा मोबाईल में प्रदान की गई अनुमति लॉक डाउन अवधि में पास के रूप में उपयोग की जायेगी, जिसकी वैधता उस तिथि से बैंकिंग कार्य अवधि तक रहेगा। उक्त संबंध में प्रत्येक बैंक प्रबंधन को आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक बैंक मैनेजर का मोबाईल नंबर शाखा के बाहर प्रदर्शित करें, ग्राहक प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे से संबंधित बैंकों के मैनेजर का मोबाईल नंबर नोट कर सकते हैं जनसम्पर्क कार्यालय से समस्त बैंक मैनेजरों की सूची जनहित में समाचार पत्र में प्रकाशित की जावेगी।

(र) रजिस्ट्री कार्यालय अपने पूर्व क्षमता का 50 प्रतिशत रजिस्ट्री कर सकेंगे ऑन लाईन टोकन प्रणाली पूर्ववत जारी रहेगी।

(ल) प्राइवेट कोरियर सेवायें एवं ऑनलाईन वस्तुओं की डिलीवरी करने वाली समस्त प्रतिष्ठान वस्तुओं की आपूर्ति प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगी।

(व) कूलर , पंखे, एसी, सेनेटरी फिटिंग के मरम्मत संबंधी कार्य केवल घर पहुंच सेवा के आधार पर संपादित किये जा सकेंगे। इस हेतु एक चौथाई शटर खोलकर प्रातः 8.00 से 10.00 बजे तक मरम्मत में लगने वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी।

(श) आटा चक्की तथा अन्य फ्लोर मिल प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी।

(ष) वनोपज के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय की छूट रहेगी।

थोक अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, चिल्हर अनाज, फल तथा सब्जी मंडी

थोक अनाज, फल तथा सब्जी मंडियां प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक खुली रहेंगी। थोक मंडियों से केवल चिल्हर व्यापारी ही सामाग्री का कय कर सकेंगे। चिल्हर व्यापारियों के अलावा अन्य किसी को भी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जायेगी। थोक एवं चिल्हर मंडी के अध्यक्ष एवं सचिव मंडी में कार्यरत व्यापारियों को चिन्हाकित कर पास जारी कर सकेंगे। पास का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न है। चिल्हर व्यापारी किसी भी परिस्थित में सब्जी, फल मंडी अथवा अन्य किसी भी स्थल पर पसरा लगाकर सब्जियों, फल की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे, केवल ठेले में घूम घूमकर बेचने की अनुमति रहेगी। ठेला किसी भी स्थल पर 10 मिनट से अधिक खड़ा नहीं किया जा सकेगा। चिल्हर सब्जी, फल मार्केट पूर्णतया बंद रहेगा। चिल्हर सब्जी, फल मार्केट के 500 मीटर के आसपास कोई भी ठेला लगाकर सब्जी का विकय नहीं करेंगे।

- मेडिकल स्टोर्स (24X7) पेट्रोल पम्प (24X7) गैस डिलीवरी सेवायें (प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक) के अवधि के मध्य संचालित रहेंगी।

परिवहन सेवायें :–

जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो–रिक्शा, बसें, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो

इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

गोदाम

जिले में संचालित समस्त गोदाम रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक खुले रहेंगे। उक्त अवधि में गोदाम में सामाग्री की आपूर्ति हो सकेगी। गोदाम संचालक अपने अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को पास जारी कर सकेंगे जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा मान्य किया जायेगा। गोदाम में वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन के सम्मुख आवश्यक सेवा का स्टीकर लगा होना आवश्यक है जिसे गोदाम संचालक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जा सकेगा।

निर्माण कार्य :-

समस्त प्रकार के शासकीय निर्माण कार्य संचालित किये जा सकेंगे परंतु **निजी निर्माण कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।** शासकीय निर्माण कार्य में लगने वाली सामाग्री की प्रदायगी की जा सकेगी। निर्माण एजेंसी या ठेकेदार को प्रदत्त कार्यादेश पास के रूप में मान्य किये जा सकेंगे। निर्माण कार्य में लगने वाले वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली दुकानें यथा-छड़, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक्स, पेंट, वेल्डिंग, सैनिटरी की दुकानें प्रातः 8.00 बजे से 12.00 बजे तक खुली रह सकती हैं परंतु सामाग्री की बिक्री केवल उन्हीं ठेकेदारों को की जा सकेगी जिनके पास शासकीय कार्य संपादित किये जाने हेतु एजेंसी द्वारा कार्यादेश दिया गया हो। भवन तथा सड़क निर्माण से संबंधित अन्य कच्चे वस्तुओं की आपूर्ति यथा- रेत, गिट्टी, मिट्टी, मुरूम की आपूर्ति करने वाली खदानें प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी परंतु तालाबंदी की अवधि में उपरोक्त खदानों से केवल शासकीय कार्यों में संलग्न ठेकेदारों को ही कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकेगी। परिवहन पास में रेत खदान संचालन कर्ता कार्य स्थल स्पष्ट तौर पर अंकित करेगा। निजी भवन निर्माण तथा अन्य कार्य में भवन निर्माण संबंधी सामाग्री एवं कच्चे माल की आपूर्ति पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्य पूर्ववत संचालित किये जा सकेंगे। समस्त निर्माण कार्यों में कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन किया जा सकेगा। कार्य स्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं मजदूरों को कार्य एजेंसी या ठेकेदार पास जारी करेगा। निर्माण एजेंसी के ठेकेदार की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कि कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारी को कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण आने पर इसकी सूचना कार्यस्थल के निकटस्थ प्रशासनिक अधिकारी को दे। निर्माण कार्य में लगने वाली मशीनरी की मरम्मत करने वाली दुकानें केवल आवश्यक होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के लिखित अनुमति के पश्चात् केवल निर्धारित समय तक ही खोला जा सकेगा।

उद्योग धंधों/आवश्यक वस्तुओं का परिचालन करने वाले संस्थान :-

जिले में संचालित उद्योगों, फैक्टरी में कार्य संपादित किया जा सकेगा परंतु उद्योग संचालक को कोविड संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। उद्योग संचालक कार्य स्थल में मजदूरों के आवाजाही हेतु स्वयं पास जारी करेगा जिसे प्रशासन द्वारा मान्य किया जावेगा। ऐसे उद्योगों का संचालक अपने परिवहन हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन की कापी अपने साथ रखेगा जिसे पास के रूप में मान्य किया जावेगा। प्रशासन द्वारा किसी भी उद्योगों के संचालन हेतु पृथक से पास जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य आवश्यक वस्तुओं के संचालन करने वाले उपक्रमों एवं संस्थाओं पर भी यही नियम लागू होगा। उद्योग संचालक अपने प्रतिष्ठान्न में कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरों को आवागमन पास जारी कर सकेगा।

आवागमन हेतु पास :-

जिले के भीतर अन्र्तजिला और अन्र्तराज्यीय पास जारी करने हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी जिले के भीतर शासकीय कर्मचारियों द्वारा परिचय पत्र को कार्यालयीन अवधि में अथवा उसके पश्चात् पास के रूप में मान्य किया जावेगा। ऐसे कर्मचारियों को पृथक से कोई पास नहीं दिया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाली निजी व्यावसायिक संस्थानों हेतु पृथक से पास जारी नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाले संस्था के पास पंजीकृत प्रमाण पत्र को पास के रूप में मान्य किया जावेगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाली संस्था के संचालक द्वारा अपने संस्था के अधीन काम

करने वाले कर्मचारियों को अपने हस्ताक्षर से पास प्रदान किया जावेगा जिसे जिले के भीतर मान्य किया जावेगा। स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर जिले के भीतर परिवहन हेतु डॉक्टरों द्वारा लिखित उपचार पर्ची को पास के रूप में मान्य किया जावेगा। जिले के बाहर मृत्यु, मेडिकल, एमरजेंसी एवं अन्य आकस्मिक प्रकरण में परिवहन हेतु पास संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किये जायेंगे। यह अधिकार जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रत्योजित किये जाते हैं यह आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी के हैसियत से जारी नहीं किये जायेंगे, बल्कि वास्ते जिला दण्डाधिकारी धमतरी के नाम से जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय का नाम भी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ही अंकित रहेगा। अन्र्तराज्यीय परिवहन पास जिला दण्डाधिकारी कार्यालय धमतरी से ही जारी किये जाएंगे।

विवाह :–

तालाबंदी अवधि में विवाह का कार्य संपादित किया जा सकता है परंतु केवल 20 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जावेगी। इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा भोज की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :–

उक्त अवधि में समस्त धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना यथावत रहेगी परंतु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया वर्जित किया जाता है। उक्त अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी। यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर इत्यादि समस्त धार्मिक उपासना के केन्द्रों में लागू रहेगी। मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोरोना सक्रमण से बचने के उपाय का कड़ाई से पालन करेगा । मृतक का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाल के तहत ही किया जा सकेगा।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल :–

उक्त अवधि में समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा पर्यटन से संबंधित समस्त गतिविधियां होटल रिसार्ट बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह सुविधा चालू रहेगी जिसकी सूचना होटल संचालक द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी जावेगी।

लॉकडाउन अवधि में कोविड टीकाकरणः–

उक्त अवधि में कोविड–19 के टीकाकरण का कार्य भी संपादित किया जा रहा है अतः ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है टीकाकरण हेतु प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र हेतु प्रस्थान कर सकते हैं आधार कार्ड को ही टीकाकरण केन्द्र तक पहुंचने हेतु पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

हॉट बाजार

जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

मीडिया

समस्त मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाती है। उक्त कार्य में समय की पाबंदी लागू नहीं होगी परंतु प्रत्येक मीडिया कर्मी को पहचान पत्र रखना होगा। समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर को संबंधित ब्यूरोचीफ पहचान पत्र जारी कर सकेंगे।

प्रतिबंधात्मक कार्य एवं प्रतिष्ठानों की सूची

जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें, बार तालाबंदी अवधि में बंद रहेगी। समस्त प्रकार के बाजार (जिन्हें प्रतिबंध से मुक्त किया जा चुका है को छोड़कर), समस्त होटल एवं रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हॉल, मॉल्स, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, कोचिंग क्लास, स्कूल व कॉलेज, पान तथा सिगरेट के ठेले,

पान तथा सिगरेट के ठेले, रोड के किनारे पर लगने वाले चाय की दुकान एवं घूम घूमकर बेचने वाले समस्त खाद्य पदार्थ, नाई की दुकान, जिम, किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक आयोजन।

जुर्माना एवं दण्ड

मास्क नहीं पहनने पर 500/-रू., छूट अवधि के पश्चात घूमते-फिरते पाये जाने पर 500/-रू. होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने पर 5000/-रू., प्रतिबंधित दुकानों के संचालन करते पाये जाने पर 2000/-रू., सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200/-रू., दुकानों के भीतर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500/-रू. धनात्मक व्यक्ति द्वारा दुकान खोले जाने पर 5000/-रू. का अर्थदण्ड एवं एफ.आई.आर. की कार्यवाही, बिना डॉक्टरी प्रिसकिपशन के मेडिकल दुकान में दवा बेचने पर 5000/-रू. का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, अर्थदण्ड अधिरोपित करने का यह अधिकार समस्त ग्रामीण तथा नगरीय निकाय, पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। अर्थदण्ड से प्राप्त राशि तत्काल शासकीय खजाने में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों को अगले कार्य दिवस तक किसी भी परिस्थिति में दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

महामारी एवं सक्रमण की दशा मे उक्त आदेश की तामीली व्यक्तिशः नहीं की जा सकती है अतः प्रतिबंधात्मक संबंधी यह आदेश सार्वजनिक रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का प्रसारण संबंधित अधिकारी ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में मुनादी के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860, की धारा 188, ऐपीडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 05/05/2021 से 15/05/2021 तक सम्पूर्ण जिले में लागू होगा। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना तथा किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 3956 /कोविड-19/2021/ धमतरी, दिनांक 04 /05/2021

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय छ0ग0शासन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ0ग0शासन, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला-धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी/कुरूद/नगरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आयुक्त, नगर निगम, धमतरी एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, धमतरी को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सर्व तहसीलदार,/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला-धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
धमतरी (छ.ग.)

आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के संबंध में परिवहन पास

मैं...फर्म/दुकान का नाम/ ....का संचालक हूं। जिसे कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी के आदेश क्रमांक 3955/कोविड–19/2021 दिनांक 04/05/2021 के तहत मेरे दुकान/गोदाम/अनाज एवं सब्जी मंडी/मीट, चिकन, मछली मंडी में कार्यरत कर्मचारी श्री...जिसका आधार कार्ड क्रमांक.................................... है। होम डिलीवरी अथवा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है। उक्त संबंध में होम डिलीवरी हेतु मैं अधिकृत करता हूँ।

दुकान संचालक का नाम व हस्ताक्षर
मो0नं0

थोक सब्जी मंडी एवं चिल्हर सब्जी विक्रेताओं के संबंध में पास

मैं...थोक सब्जी मण्डी/चिल्हर सब्जी विक्रेता संघ का अध्यक्ष/सचिव हूं। मैं.......... ....पिता.....................................जिसका आधार कार्ड क्रमांक...है को थोक सब्जी मण्डी/घुम–घूमकर सब्जी, फल बेचने हेतु अधिकृत करता हूँ।

सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष/सचिव हस्ताक्षर
मो0नं0